

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

वितरण

बिहार सरकार

03 JUN 2023
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।
सेवा में,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, समी समाहर्ता, बिहार।

E-MAIL

वि.सं. 14/डी0एल0ए0

समी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

-सह-सूक्ष्म प्राधिकार भूमि अर्जन (CALA), बिहार।

पटना-15, दिनांक:- 20/01/2025

विषय:- लोकहित में विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु की जा रही भू-अर्जन की कार्यवाही में याचित मार्गदर्शन के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु विभिन्न भू-अर्जन अधिनियमों (मुख्यतः-भू-अर्जन अधिनियम, 2013, एन0एच0 अधिनियम, 1956, रेलवे विशेष अधिनियम, 2008) के सुसंगत प्रावधानों के तहत भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है। इस हेतु उक्त अधिनियमों में भू-अर्जन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत प्रावधान निरूपित है। साथ ही, राजस्व विभाग द्वारा तत्संबंधित नियमावली/परिपत्र/अधिसूचना/संकल्प/पत्र/आदेश इत्यादि के माध्यम से समय-समय पर यथोचित दिशानिदेश दिये गये हैं।

2-इस संबंध में विभिन्न जिलों से कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की अपेक्षा संबंधित पत्र प्राप्त हो रहे हैं। उक्त पत्रों की जाँच/समीक्षा के क्रम में यह तथ्य परिलक्षित हुआ है कि भू-अर्जन अधिनियमों तत्संबंधित नियमावली/परिपत्र/अधिसूचना/संकल्प/पत्र/आदेश इत्यादि के माध्यम से समय-समय पर निर्गत दिशानिदेशों का अध्ययन जिला द्वारा नहीं किया गया है एवं मार्गदर्शन की अपेक्षा विभाग स्तर से की गयी है। कतिपय मामलों में जिला भू-अर्जन-पदाधिकारी-स्तर से सीधे पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है, जो कि स्थापित नियमों के विपरीत है एवं समय की बर्बादी मात्र है।

3-वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु राज्यान्तर्गत भू-अर्जन की कार्यवाही में संगत अधिनियमों के साथ-साथ विभाग द्वारा निर्गत तत्संबंधित नियमावली/परिपत्र/अधिसूचना/संकल्प/पत्र/आदेश इत्यादि का समुचित अवलोकन/अध्ययन कर लेना श्रेयस्कर होगा। तदोपरान्त यदि किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति में मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए समाहर्ता स्तर से ही पत्र के माध्यम से उक्त की माँग किया जाना उचित समझा जा सकता है।

सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

पटना, दिनांक:- 20/01/2025

ज्ञापांक- 69/रा0.

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक- 69/रा0.

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेबसाइट पर यथास्थान रक्षित किये जाने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक:- 20/01/2025

अपर मुख्य सचिव।

अपर मुख्य सचिव।